दिनांक 04.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 05/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना 156.600 कि0ग्रा0 गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 39.25 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 03–08–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को लखनऊ पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना को 156.600 कि0ग्रा0 गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 39.25 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1– शिवम यादव पुत्र शेर बहादुर यादव निवासी सलेमपुर अचाका थाना नगराम मोहनलालगंज।

बरामदगी–

1– 156.600 कि0ग्रा0 गाँजा(अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 39.25 लाख रूपये)।

2– 01 अदद स्कार्पियो कार संख्या यूपी 32 एमए 7958

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

पटवा खेडा मोड़ के पास, थाना क्षेत्र नगराम जनपद–लखनऊ दिनांक 03–08–2025 समय करीब 23.47 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह, उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप सिंह, उ०नि० अरशद खान, मु०आ० राम निवास शुक्ल, मु०आ०राजीव कुमार, मुख्य

आरक्षी सुशील सिंह, आरक्षी बृजेश बहादुर सिंह, आरक्षी अमर श्रीवास्तव, आरक्षी अमित त्रिपाठी की टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले संगठित गिरोह के कुछ सदस्य आँध्र प्रदेश राज्य से स्कार्पियो नं0 यूपी 32 एमए 7958 में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) छिपाकर ला रहे है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्राविधानो के अनुरूप सहायक पुलिस आयुक्त, मोहनलालगंज, लखनऊ को साथ लेकर थाना नगराम पुलिस टीम के साथ संयुक्त कार्यवाही में षिवम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम यादव ने पूछताछ में बताया कि वह अपने मित्र सूरज सिंह पुत्र शिवपूजन सिंह निवासी बहुरवा थाना बल्दीराय, जनपद सुलतानपुर के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश व उड़ीसा राज्य से गांजा मंगाकर जनपद लखनऊ, सुलतानपुर, रायबरेली अदि जनपदों में स्थानीय तस्करो को सप्लाई करता है। इसके द्वारा पिछले 02 वर्षो से गॉजा तस्करी का काम किया जा रहा है। गॉजा तस्करी के पैसे से ही बरामद स्कार्पियो खरीदा गया है। इसके विरूद्ध थाना पी0जी0आई0 जनपद लखनऊ में भी मु0अ0सं0 324/2022 धारा 120बी, 409, 420, 477ए, भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नगराम, लखनऊ में मु0अ0सं0 181/25 धारा 8/20/29/60 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा सम्पादित की जायेगी।

<u>जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर</u>

- **20–20 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.08.2025 को थाना हापुड़ नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोदीनगर रोड़ ब्लॉक के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–निशान्त 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त निशान्त के विरूद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्ता के विरूद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20–20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–निशान्त निवासी ग्राम भंडगपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़, हालपता फौजी कॉलोनी कस्बा व थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।

2–अभियुक्ता।

<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना जगदीशपुरा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 16 लाख रूपये (कीमत) की चोरी की 77 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 03/04.08.2025 की रात्रि थाना जगदीशपुरा, एसओजी, सर्विलासं की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिचपुरी पथौली नगर मार्ग पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1–साजिद 2–शहवान घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 16 लाख रूपये (कीमत) की चोरी की 77 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना जगदीशपुरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साजिद निवासी नई बस्ती थाना गोविन्दपुरम जनपद मथुरा।

2—शहवान निवासी शेख रहीम मोहल्ला थाना फतेहपुर सीकरी हालपता—जयसिंहपुरा राधेश्याम कालोनी थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—लगभग 16 लाख रूपये (कीमत) की चोरी की 77 मोबाइल फोन।

2—घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना चौक

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत के पीली धातु के आभूषण**
- **चोरी के 11 हजार 710 रूपये नगद, मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 03.08.2025 को थाना चौक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेनियाबाग के पास से 03 अभियुक्तों 1—यासीन खान 2—श्रीमंता बाउलदास 3—प्रसेनजित उर्फ लालटू को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत के पीली धातु के आभूषण, चोरी के 11 हजार 710 रूपये नगद, मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना चौक क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटनाएं कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चौक पर अभियोग पंजीकृत कर घटनाओं के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना चौक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—यासीन खान निवासी हाकाक टोला थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।

2—श्रीमंता बाउलदास निवासी ग्राम मेघसर थाना दादपुर जनपद हुगली पश्चिम बंगाल।

3—प्रसेनजित उर्फ लालटू निवासी राज्यधरपुर मलिकपाड़ा थाना सेरामपुर जनपद हुगली पश्चिम बंगाल।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 04 लाख रूपये कीमत के पीली धातु के आभूषण।

2—चोरी के 11 हजार 710 रूपये नगद, मोबाइल फोन आदि।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना बड़गांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50—50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना बड़गांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—सोनू उर्फ संजय 2—विरेन्द्र 3—विनीत 4—उमेश उर्फ टीटू को सश्रम आजीवन कारावास व 50—50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सम्भल/थाना हयातनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 03 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना हयातनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शलैश को आजीवन कठोर कारावास व 01 लाख 03 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मन्सूरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 09–09 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना मन्सूरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/148/323/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सुधीर 2–महेन्द्र 3–अतुल 4–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 09–09 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सुलतानपुर/थाना जयसिंहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना जयसिंहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3(2)(5) एवं 3(1)डब्लू(1) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामअनुज उर्फ अनुज को सश्रम आजीवन कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना बेवाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना बेवाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ताजमोहम्मद उर्फ नोखी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————